Frequently Asked Questions (बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. **झारखण्ड उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का ई–लॉटरी क्या है ?**

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए कम्प्युटर पर Randomized लॉटरी प्रणाली द्वारा आवेदकों की चयन की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से इच्छुक आवेदक ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते हुए ई–लॉटरी में भाग लेकर मदिरा की खुदरा उत्पाद की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं।

2. **ई–लॉटरी में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?**

ई–लॉटरी हेतु सर्वप्रथम आवेदक, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा विकसीत वेबसाइट https://exciselottery.jharkhand.gov.in पर जाकर विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्वयं को पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण के बाद लॉग–इन करके आवश्यक विवरण भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन ऑनलाईन जमा करेंगे। आवेदन जमा होने पर एक पावती जेनरेट होगी जिसे भविष्य के संन्दर्भ के लिए सुरक्षित रखेंगे।

3. **ई–लॉटरी हेतु आवेदन शुल्क भुगतान कैसे किया जाता है ?**

ई–लॉटरी हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा। भुगतान विकल्पों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS एवं नेट बैंकिंग जैसे विकल्प शामिल हैं। ई–लॉटरी के आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक विभाग के विनिर्दिष्ट बैंक को वांछित शुल्क के भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि हो जानी चाहिए और अंतिम तिथि व समय के उपरान्त शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि आवेदक के खाते से राशि Debit हो जाये परन्तु विहित समय तक विभाग के बैंक अथवा Account में वह राशि Credit नहीं होती है तो आवेदक ई–लॉटरी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। भुगतान के बाद एक रशीद जेनरेट होगी जिसे भविष्य के संन्दर्भ के लिए सुरक्षित रखेंगे।

4. **ई–लॉटरी हेतु आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की अवश्यकता होती है ?**

ई–लॉटरी हेतु आवेदन करते समय मुख्यतः वैयक्तिक पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस में से कोई एक), पत्राचार पता (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेंस/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक)/निवास प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/आधार कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/बैंक का क्रियाशील खाता (Functional Bank Account) का स्टेटमेन्ट्स में से कोई एक), पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023–24) का ITR एवं विहित प्रपत्र में नोटराईज्ड शपथ पत्र इत्यादि ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी। HUF, फर्म एवं कम्पनी इत्यादि के मामले में अन्य विविध दस्तावेजों को भी अपलोड करने की आवश्यकता होगी।

दस्तावेजों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से देख लेना चाहिए।

5. **ई–लॉटरी के परिणाम कैसे और कब घोषित किये जाते है ?**

ई–लॉटरी का परिणाम विभागीय वेबसाईट https://excise.jharkhand.gov.in एवं संबंधित जिला के NIC के वेबसाईट पर घोषित किये जायेंगे। सफल आवेदक का चयन पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों में से कम्प्युटर पर यादृच्छिकरण विधि (Randomization method) द्वारा ई–लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। परिणाम घोषित होने पर आवेदक उपर वर्णित वेबसाईट पर या जिला द्वारा विनिर्दिष्ट स्थल/जिला समाहरणालय में लॉटरी की समयावधि में भी परिणाम देख सकते है।

6. **ई–लॉटरी के माध्यम से किस–किस प्रकार की मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों की बन्दोबस्ती की जाएगी?**

ई–लॉटरी के माध्यम में देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान तथा ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान की बन्दोबस्ती की जाएगी।

देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान से देशी मदिरा के अतिरिक्त मशालेदार/ Flavoured देशी मदिरा की बिक्री की जाएगी।

ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान से देशी/मसालेदर/Flavoured देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)/बीयर, वाईन इत्यादि की बिक्री की जाएगी।

7. **मॉडल शॉप क्या है ?**

अनुज्ञाधारी के अनुरोध पर मदिरा की ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान के निर्धारित शर्त्तों/मापदण्डों को पूर्ण करने पर उक्त दुकान को मॉडल शॉप के रूप में उत्क्रमित (upgrade) किया जा सकता है। मॉडल शॉप परिसर का क्षेत्रफल न्यूनतम 600 वर्गफीट तथा वातानुकूलित होगा और इसके अन्दर ग्राहकों को मदिरा के उपभोग की अनुमति सहित अल्पाहार आदि की भी व्यवस्था होगी।

8. **मदिरा की ''ऑफ'' एवं ''ऑन'' दुकान क्या है ?**

मदिरा की ऑफ दुकान का अर्थ है वैसी खुदरा उत्पाद दुकान जहाँ केवल बोतलबंद मदिरा की बिक्री की अनुमति हो। मदिरा की ऑन दुकान का अर्थ है वैसी दुकान जहाँ मदिरा की बोतलबंद बिक्री के अतिरिक्त मदिरा के सेवन/उपभोग की अनुमति हो।

9. **धरोहर धन राशि (EMD) क्या है ?**

खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला धनराशि है जो उस दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 2% के समतुल्य होगा। यह राशि सफल आवेदकों के मामले में उनके द्वारा देय जमानत राशि में समायोजन योग्य होगी तथा असफल आवेदकों के मामले में यह राशि आवेदक को वापसी योग्य होगी।

10. जमानत राशि क्या है ?

जमानत राशि खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लेने के पूर्व सफल आवेदक द्वारा संबंधित दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% की राशि है। उक्त राशि को बन्दोबस्ती अवधि के पश्चात संबंधित दुकान के सभी बकायों एवं दावों के भुगतान/समायोजनोपरान्त अनुज्ञाधारी को वापस कर दी जाएगी। इस राशि की वापसी में अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

11. खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को कितनी राशि जमा करनी होगी ?

ई–लॉटरी में चयन होने के पश्चात आवेदक को खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए संबंधित दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% जमानत राशि के रूप में पाँच दिनों के अन्दर एवं 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर के रूप में दस दिनों के अन्दर जमा करनी होगी।

12. अनुज्ञप्ति शुल्क क्या है ?

ई–लॉटरी में सफल आवेदक को दुकानों की अवस्थिति के अनुसार ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के अनुसूची–1 में यथा वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा की जाने वाली राशि है जिसका भुगतान आवेदक को करना होगा।

13. ई–लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा ससमय जमानत/उत्पाद परिवहन कर की राशि जमा नहीं करने पर क्या होगा ?

लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती लेने के लिए यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व (''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के अनुसूची–1 के अनुसार) जमा नहीं किया जाता है, तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित आवेदकों का नाम काली सूची में (पाँच वर्षो के लिए) दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक काली सूची में दर्ज अवधि में संपूर्ण झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार के उत्पाद अनुज्ञप्ति के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

14. दुकान/दुकानों के समूह के लिए आवेदक कितना आवेदन कर सकते है ?

मदिरा की किसी एक खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह के लिए आवेदक अपने नाम से अधिकतम 3 (तीन) आवेदन कर सकता है। इस प्रकार कोई एक आवेदक सम्पूर्ण राज्य की सभी सभी खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह में अधिकतम तीन–तीन आवेदन समर्पित कर सकता है। सभी समूह के लिए अलग–अलग लॉटरी ID Generate होगा तथा सभी समूह के लिए अलग–अलग भुगतान भी करना होगा।

15. आवेदक किसी जिला के कितने खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोबस्ती ले सकता है ?

कोई आवेदक किसी एक जिला की अधिकतम तीन (03) खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोबस्ती ले सकता है। उदाहरणस्वरूप–यदि आवेदक किसी जिला के 3 दुकानों/दुकानों के समूह के लिए चयनित होता है और प्रत्येक समूह में एक–एक दुकानें हैं तो वह अधिकतम 03 दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी होगा इसी प्रकार यदि प्रत्येक समूह में चार–चार दुकानें है तो वह अधिकतम 12 दुकानों का ही अनुज्ञप्तिधारी हो सकेगा।

16. कोई आवेदक सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में कितने दुकान/दुकानों के समूह की बन्दोबस्ती ले सकता है ?

कोई एक आवेदक संपूर्ण झारखंड राज्य में अधिकतम 9 दुकानों/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती ले सकेगा। उदाहरणस्वरूप–यदि आवेदक सम्पूर्ण राज्य के लिए 9 दुकानों/दुकानों के समूह के लिए चयनित होता है और प्रत्येक समूह में एक–एक दुकानें हैं तो वह अधिकतम 09 दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी होगा इसी प्रकार यदि प्रत्येक समूह में चार–चार दुकानें है तो वह अधिकतम 36 दुकानों का ही अनुज्ञप्तिधारी हो सकेगा।

17. खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की कालावधि क्या होगी ?

खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ, दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबस्त की जायेंगी परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेंगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्षो के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार चलाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त्त के अनुसार किया जा सकेगा।

18. खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की अवधि क्या होगी ?

खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन की अवधि पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक होगी।

19. खुदरा उत्पाद दुकानों क अनुज्ञाधारियों का लाभांश क्या होगा ?

खुदरा अनुज्ञाधारी का लाभांश, थोक अनुज्ञाधारी (JSBCL) के थोक बिक्री मूल्य (उत्पाद परिवहन कर सहित) का 12% (बारह प्रतिशत) होगा।

20. खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा क्या होगी ?

खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत् होगी –

a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) –4.5 लीटर (बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)

b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा – 4.8 लीटर

नोट – बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।

21. क्या, मदिरा की बिक्री अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य पर किया जाना अनिवार्य है ?

हाँ, अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री करेगा। उल्लंघन करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञाधारी के विरूद्ध यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई की जायेगी।

22. खुदरा उत्पाद दुकानों से किन व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी।

वैसे सभी व्यक्ति, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम की है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा का क्रय करने वाला व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरापान किये हुए हैं, तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। यदि मदिरा विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा क्रेता की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो विक्रेता ऐसे क्रेता से उम्र के सत्यापन संबंधी वैध दस्तावेज यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की मांग कर सकेगा।

23. मदिरा का पापुलर ब्राण्ड क्या है ?

मदिरा [भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/ वाईन/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद)] के वैसे ब्रांड, जिनका संपूर्ण झारखंड राज्य में बाजार हिस्सेदारी (Market Share) अपने श्रेणी (उत्पाद कर) में 10% से अधिक हो। समय–समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा पॉपुलर ब्रांड की सूची बिक्री के अनुसार जारी की जायेगी।

24. क्या प्रतिभूति राशि (जमानत राशि) के रूप में बैंक गारंटी मान्य है ?

प्रतिभूति राशि (जमानत राशि) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में 5 दिनों के अंदर जमा की जा सकेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि आयुक्त उत्पाद के नाम से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। बंदोबस्ती की एक माह के अंदर अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति राशि के एवज में झारखंड राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय बैंक की ''बैंक गारंटी'' भी समर्पित कर सकता है, जिसकी मान्यता अवधि संपूर्ण बंदोबस्ती की अवधि से छः माह अधिक तक की रहेगी। बैंक गारंटी के सत्यापन के पश्चात, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में जमा की गई NSC विमुक्त कर दी जायेगी।

25. **ई–लॉटरी में सफल आवेदक का दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी अथवा नहीं ?**

सफल आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट समय में वांछित शुल्क का भुगतान करने के बावजूद अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज की मूल प्रति से सत्यापन के दौरान यदि कोई दस्तावेज में त्रुटि पाया जाता है तो किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की जायेगी और यदि अनुज्ञप्ति निर्गत कर दी गई है तो अनुज्ञप्ति को रद्द/विखण्डित कर दी जायेगी तथा जमा की गई राशि जप्त कर ली जायेगी।

26. **ई–लॉटरी के प्रतिभागियों हेतु ऐसे आवेदक जिनका भुगतान विभाग के बैंक खाता में प्राप्त/पुष्टि हो गई है उनकी सूची कैसे प्रकाशित की जायेगी ?**

आवेदन करने की निर्धारित तिथि व समय के अन्तर्गत सफल भुगतान के आधार पर ई–लॉटरी के प्रतिभागियों की सूची तैयार की जायेगी। ऐसे आवेदक जिनका भुगतान विभाग के बैंक खाता में प्राप्त/पुष्टि हो गई हो सिर्फ उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जायेगा। विभाग के बैंक खाता में प्राप्त राशि के सत्यापनोपरान्त ई–लॉटरी में भाग लेने वाले आवेदकों की सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट– https://excise.jharkhand.gov.in एवं संबंधित जिला के NIC वेबसाईट पोर्टल पर किया जायेगा।